संख्या-125/2015/ 4958 /92-1-2015-70(अधि0)/2015

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2015

विषय:- श्री नरेन्द्र कुमार प्रथम, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन की पत्नी की चिकित्सा पर हुये व्यय की धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-5056/ग्रा0अ0वि0/बजट/चि0प्रति0/मुख्यालय/2015-16, दिनांक 30-11-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, यथासंशोधित 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार प्रथम, अधिशसी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन द्वारा दिनांक 20-02-2015 से 16-03-2015 तक प्रदेश के बाहर इंस्टीटयूट ऑफ लीवर एण्ड बिलेरी साइंस, नई दिल्ली में अपनी पत्नी स्व0 सुधा शर्मा की करायी गयी चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि के अनुक्रम में प्रस्तुत धनराशि रू0 8,05, 546-00 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु इंगित की गयी धनराशि रू0-6,99,330-00 (रूपये छः लाख निन्यानवे हजार तीन सौ तीस मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त से सम्बन्धित समस्त बिल बाउचर्स एवं अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है। कृपया इस शासनादेश एवं संलग्न किये जा रहे समस्त संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना शासन को लौटती डाक से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त से सम्बन्धित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, तो स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त (मूलरूप में)।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-125/2015/4958(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जालौन।
4- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झाँसी।
5- श्री नरेन्द्र कुमार प्रथम, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in